20/6/25

पत्रा. पेश हुई। वकील प्रार्थी अमन एवं प्रार्थी स्वयं अनुपस्थित। प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी को न्यायालय हाजिर होने हेतु बार-2 आवाज लगवाई गई तदुपरांत न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। चूंकि दावा की अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है अतः प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रा. फैसल शुमार हो, नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:55:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner